न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

निर्णय दिनांक 17.02.2021

मुकदमा नम्बर 21/2021

शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

— प्रार्थी —

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लि. चूरू।
3. धापू पुत्री लिछमणराम
4. मंजू उर्फ चन्द्री पुत्री लिछमणराम

— अप्रार्थीगण —

उपस्थितिः—

1. श्री रणवीर सिह अभिभाषक वादी
2. श्री राजाराम नैण अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 ता 4
3. प्रतिवादी संख्या 02 के विरूद्ध एकतरफा
4. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 269 तादादी 11.33 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 49 तादादी 13.53 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा पटवार हल्का बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इसी प्रकार खेत खसरा नम्बर 1019 तादादी 7.59 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1226 तादादी 2.83 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1230 तादादी 15.04 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा में स्थित है। उपरोक्त खसरान भूमि में अप्रार्थी सं. 3 व 4 का 22/450 हिस्सा है। अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि में अपने हिस्से पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2017 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 06 मई 2017 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने खसरा नम्बर 269, 49 रोही बिग्गाबास रामसरा के लिए नामान्तरण संख्या 851 दिनांकित 15.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया व खसरा नम्बर 1019, 1226, 1230 रोही बिग्गा के लिए नामान्तरण संख्या 1611 दिनांकित 11.05. 2017 को दर्ज रजिस्टर्ड कर तहसील कार्यालय [illegible] किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। [illegible] 6 [illegible] के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 व 4 को के.सी[illegible] प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 [illegible] के उक्त खसरों की सर्च की गई तो पता चला कि खसरा नम्बर 269, 49 रोही बिग्गाबास रामसरा में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज कर रखा है तथा खसरा नम्बर 1019, 1226, 1230

उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:53 IST
Reason: SelfAttested

रोही बिग्गा में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्से पर प्रार्थी बैंक के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज हो गया। खसरा नम्बर 269 व 49 रोही बिग्गावास रामसरा के खेतों में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्से पर गलत रूप से अप्रार्थी सं. 2 के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज चला आ रहा है, जबकि अप्रार्थी सं. 3 व 4 ने प्रार्थी बैंक से उक्त खेतों में वर्णित अपने हिस्से पर के.सी.सी. ऋण ले रखा है और उसका नामान्तरण भी सही रूप से प्रार्थी बैंक के नाम अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में पंजीवद्ध हुआ है। उक्त इन्तकाल के आधार पर प्रार्थी बैंक के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को भी कहा कि आपने मेरी बैंक संस्था में ऋण का आवेदन किया था व आपको ऋण प्रदान किया गया है परन्तु आपके खेतों का रहन का इन्तकाल हमारी बैंक शाखा के नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है, आप इसे दुरूस्त करवाओं तो अप्रार्थी संख्या 3 व 5 ने कहा कि 6 (1) आपने भरकर दिया था और मैनें तहसील कार्यालय में पेश कर दिया अब रहन का इन्तकाल किस बैंक के नाम दर्ज हुआ यह मुझे पता नहीं है व ना ही मेरी कोई गलती है, आप जानों व आपका काम जाने। प्रार्थी बैंक को खसरा नम्बर 269, 49 रोही बिग्गाबास रामसरा भूमि में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्से पर अपने नाम रहन का इन्तकाल दर्ज नहीं होने का पता चलने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत कर प्रार्थी बैंक **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़** के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी बैंक को कहा कि जिस प्रकार से यह गलती हुई है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही रूप से इन्तकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूरणीय क्षति हो रही है व प्रार्थी बैंक अप्रार्थी सं. 3 व 4 से ऋण की वसूली करने में भी असमर्थ हो गया है। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के हिस्से की खातेदारी के खेत ख.नं. 269 व 49 रोही बिग्गाबास रामसरा में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के हिस्से पर रहन का इन्तकाल प्रार्थी बैंक के नाम दर्ज नहीं हुआ है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने प्रार्थी बैंक के यहां ऋण का आवेदन किया है तथा प्रार्थी बैंक से ऋण प्राप्त किया है। जमाबन्दी व धारा 6 (1) के अधीन की घोषणा एवं प्रार्थी बैंक द्वारा शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 की प्रतियां प्रस्तुत है। वर्णित खसरान भूमि ग्राम बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र [illegible] निवेदन है कि:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:53 IST
Reason: SelfAttested

खेत खसरा नम्बर 269 तादादी 11.33 [illegible]टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 13.53 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास [illegible] के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी [illegible] की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चूरू) [illegible] नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 (पैरोकार राज स्टेट की तरफ से) ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 269 तादादी 11.33 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 49 तादादी 13.53 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 व 4 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (चूरू जिला सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा चूरू) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। रहन मुताबिक आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक 17.02.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:53 IST
Reason: SelfAttested